झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग,
संकल्प

संख्या :वन भूमि–57/2005(खण्ड–।।)–6023, व0प0, रॉची दिनांक 15 नवम्बर,2007

विषयः– झारखण्ड राज्य के वनों की सुरक्षा एवं उनपर नियमन में ग्रामवासियों की सामूहिक भूमिका हेतु वन सुरक्षा समिति के गठन, और उसमें दायित्व, अधिकार एवं शक्तियॉ निहित करने का संकल्प ।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में यह प्रतिपादित किया गया है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु स्थानीय जनता का सहयोग लिया जाय । तद्नुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार ने दिन 1 जून 1990 को सभी राज्यों को निर्देश जारी किया कि वनों में एवं वनों के आस-पास रहने वाले आदिवासियों एवं अन्य ग्रामीणों का वन उत्पादों पर प्रथम अधिकार माना जाएगा ।

2. उपरोक्त सिद्धान्त के अनुसार वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार ने संकल्प संख्या प्र०व०-05/2000-3568 दिनांक 27.9.2001 निर्गत किया जिसमें राज्य के सुरक्षित एव आरक्षित वनो की सुरक्षा तथा उन वनों में रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के लिए संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों (ग्राम वन प्रबन्धन एवं संरक्षण समिति) के गठन का निर्णय लिया गया । राज्य के आरिक्षत वन तथा वन्य प्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान के सुरक्षित वनों के लिये ग्रामवासियों की "इको विकास समिति" तथा अवशेष सुरक्षित वनों के लिये "ग्राम वन प्रबन्धन एवं संरक्षण समिति" गठित की गई है । इन समितियों के "पदेन सचिव" वनपाल हैं । इस संकल्प के अनुसार सुरक्षित वन के विदोहित वन पदार्थ की बिक्री से शुद्ध लाभ की राशि का 90 प्रतिशत "ग्राम वन प्रबन्धन एवं संरक्षण समिति" को हस्तानान्तरित किया जाएगा और आरक्षित वन के विदोहित वन पदार्थ की बिक्री से शुद्ध लाभ की राशि का 10 प्रतिशत "इको विकास समिति" को हस्तानान्तरित किया जाएगा । समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के पदनामों से संयुक्त बचत लेखाओं में उपरोक्त एवं अन्य स्त्रोत से भी प्राप्त राशि संचित की जाएगी । राशि का व्यय भी निर्धारित तरीके से समिति द्वारा ही किया जाएगा ।

3. ग्राम वन प्रबन्धन एवं संरक्षण समिति एवं इको विकास समिति के कर्त्तव्य संकल्प की क्रमशः कंडिका (10) एवं (11) में तथा उनकी शक्तियॉ क्रमशः कंडिका (12) एवं (13) में वर्णित है । उपरोक्त समितियों/ उनकी कार्यकारिणी को प्रदत्त शक्तियों में भारतीय वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत दंडात्मक प्रावधान के आधार पर वनों की सुरक्षा एवं उनपर नियमन लागू करने हेतु ग्रामवासियों की सहभागिता भी सम्मिलित

है । परन्तु ज्ञातव्य है कि एक प्रादेशिक वनपाल के प्रभार (परिसर) में लगभग 50-60 वन होते हैं तथा सभी संबंधित वन समिति/इको विकास समिति की कार्यकारिणी का वे पदेन सचिव होते हैं । वन समिति/इको विकास समिति के संचालन की इस प्रक्रिया में वनों की सुरक्षा एवं उनपर नियमन में ग्रामवासियों की तत्कालिक अपेक्षित भूमिका सुनिश्चित होने में कठिनाईयॉ होती है । वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन तथा वनरोपण क्षेत्र के विकास हेतु उपरोक्त कठिनाईयों का निराकरण के लिए संकल्प संख्या 3658 दिनांक 2001 की कंडिका (10) की उप कंडिका (iv),(v),(vii),(viii),(ix),(xii), कंडिका (11) की उप कंडिका (iv), (v), (vii), (viii), (ix), (x), कंडिका (12) की उप कंडिका (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), और कंडिका (13) की उपकंडिका (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), को विलोपित, एवं मात्र इस हद तक इस संकल्प को संशोधित, किया जाता है ।

4 राज्य सरकार आरक्षित, सुरक्षित एवं अन्य सभी तरह के वनों की सुरक्षा एवं उनपर नियमन में वन सुरक्षा समिति के गठन, उसके कार्य-कलाप, और वन विभागीय प्रणाली में उसे अंगीकृत करने हेतु अलग से निम्न संकल्प पारित करती है :-

4.1 ग्राम सभा अपने ग्रामवासियों की "वन सुरक्षा समिति" का गठन करेगी। इस समिति में कोई वन अधिकारी नहीं होंगे ।

4.2 किसी गॉव की परिसीमा में अवस्थित सुरक्षित, आरक्षित एवं अन्य वन के लिये "वन सुरक्षा समिति" का गठन उसकी ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। समिति के दायित्व एवं शक्तियॉ/अधिकार गॉव में अवस्थित वन के लिये होंगे ।

4.3 ऐसे सुरक्षित वन, जो किसी गॉव में अवस्थित नहीं है या बेचिरागी गॉव में अवस्थित है, के लिए समिति का गठन वन की सीमा से लगे गॉव की ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा । इसके लिये गॉव का चयन एवं वन क्षेत्र का निर्धारण वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, रांची के द्वारा किया जाएगा । निर्धारित वन क्षेत्र पर ही गॉव की "वन सुरक्षा समिति" के दायित्व एवं शक्तियॉ/अधिकार होंगे ।

4.4 ऐसे आरक्षित वन, जो किसी गॉव में अवस्थित नहीं है या वेचिरागी गॉव में अवस्थित है, उनके लिये समिति का गठन वन खंड की सीमा से लगे गॉव या ऐसे गॉव की ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा, जो इसके लिये निर्धारित वन क्षेत्र से अनुकूल दूरी पर अवस्थित हो।

इसके लिये गॉव का चयन एवं वन क्षेत्र का निर्धारण वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल के द्वारा किया जाएगा । निर्धारित वन क्षेत्र पर ही चयन किये गये गॉव की "वन सुरक्षा समिति" के दायित्व एवं शक्तियॉ/ अधिकार होंगे ।

4.5 उपरोक्त कंडिका (4.2), (4.3) एवं (4.4) में गठित "वन सुरक्षा समिति" उस गॉव की परिसीमा में अवस्थित वन एवं/ या उससे बाहर निर्धारित वन नियमन, सुरक्षा एवं अन्य संबंधित कार्य-कलाप में ग्राम सभा की कार्यकारिणी के रूप में कार्य करेगी ।

5 वन सुरक्षा समिति के गठन की प्रक्रिया

5.1 ऐसे आरक्षित वन, जो पूर्व के जेनरल सर्वे में किसी गॉव में अवस्थित नहीं है, उनके लिये वन सुरक्षा समिति के गठन के उद्देश्य से पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4 (ख) के अनुसार ऐसे आवास या आवास समूह अथवा छोटे गॉव या उनके समूह जिसमें ऐसे समुदाय समाविष्ट हों, जो परम्पाराओं तथा रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्य-कलापों का प्रबंध करते हों को ग्राम माना जाएगा, चाहे वह ग्राम अनुसूचित क्षेत्र (संविधान की अनुसूची) में स्थित हो अथवा उसके बाहर ।

5.2 गॉव में अवस्थित एवं/ या उसके लिए निर्धारित वन के लिये समिति का गठन हेतु ग्राम सभा की बैठक सरपंच या किसी मान्य व्यक्ति के द्वारा बुलाई जा सकती है । वोट देने का अधिकार रखने वाले हर ग्रामवासी इस बैठक में ग्राम-सभा के सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं । बैठक के संचालन के लिये अध्यक्ष का चुनाव उपस्थित ग्रामीणों द्वारा किया जाएगा ।

5.3 ग्राम सभा की बैठक में "वन सुरक्षा समिति" के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव तथा सदस्यों का चयन किया जाएगा। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष में से एक पद महिला के लिये अनिवार्य होगा ।

5.4 "वन सुरक्षा समिति" के सदस्यों में (पदेन सदस्यों को छोड़कर) कम से कम 11 तथा अधिकतम 21 सदस्यों का चयन किया जाएगा । वन सुरक्षा समिति में सभी सदस्यों को मिलाकर अनुसूचित जाति,जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का चयन ग्राम सभा में यथा संभव उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा ।

5.5 "वन सुरक्षा समिति" में न्यूनतम 33 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी जिनमें ग्राम में कार्यरत महिला बचत समूहों, यदि कोई हो तो, की एक-एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना वांछित होगा ।

5.6 भूमिहीन परिवारों, यदि उपलब्ध हैं तो, के न्यूनतम दो सदस्य (एक पुरूष एवं एक महिला) होंगे जिनमें ग्राम में कार्यरत स्वयं सहायता समूह, यदि कोई हो तो, के एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना वांछित होगा ।

5.7 ग्राम में रहने वाले पंच अथवा सरपंच "वन सुरक्षा समिति" के पदेन सदस्य होंगे । गॉव के परम्परागत मुंडा, मानकी, मॉझी, महतो, पाहन अथवा परगनैत भी पदेन सदस्य होंगे ।

5.8 ग्राम वन प्रबन्धन एवं संरक्षण समिति/इको विकास समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/सह-सचिव में से कोई भी वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव नहीं चुने जाऍंगे ।

5.9 पदेन सदस्यों को छोड़कर समिति के अन्य सभी सदस्यों का कार्यकाल पॉच वर्षो का होगा ।

5.10 "वन सुरक्षा समिति" के गठन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थिति एवं कार्यवाही एक पंजी में दर्ज होगी । उपस्थिति अनिवार्य रूप से पंजी में दर्ज होगी ।

5.11 ग्रामवासियों की सुविधा के लिये समिति के गठन हेतु बैठक की कार्यवाही फार्म नं० (1) में वर्णित होगी, जो पंजी का भी एक भाग होगा।

5.12 ग्राम सभी की बैठक में "वन सुरक्षा समिति" के गठन की कार्यवाही भाग फार्म न० (1) में होगी । गठित समिति के सचिव सहित न्यूनतम आधे सदस्यों के हस्ताक्षर से फार्म (2) में वन प्रमंडल पदाधिकारी (प्रादेशिक) को समिति के गठन की कार्यवाही फार्म (1) के साथ सूचना दी जाएगी और उसकी प्रति प्रक्षेत्र पदाधिकारी को भी दी जायेगी ।

5.13 वन प्रमंडल पदाधिकारी फार्म नं०(3) में कार्यालय आदेश द्वारा समिति के गठन को अनुमोदित करेंगे । आदेश की प्रतिलिपि संबंधित वन सुरक्षा समिति

के साथ - साथ वन संरक्षक, प्रक्षेत्र पदाधिकारी एवं वनपाल को समर्पित की जाएगी । साथ ही संकल्प की प्रति/ पुस्तिका भी समिति को आदेश के साथ संलग्न उपलब्ध की जायेगी।

5.14 "वन सुरक्षा समिति" को कंडिका 5.13 के अनुसार अनुमोदित करने का प्रमंडलीय कार्यालय आदेश की प्रति संबंधित थाना, अनुमंडल आरक्षी उपाधीक्षक एवं जिला के आरक्षी अधीक्षक को वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा भेजी जायेगी और उनसे समिति को सहयोग देने हेतु अनुरोध किया जायेगा।

6. बैठकें

6.1 सामान्यत: अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की अनुमति से सचिव द्वारा वन सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई जाएगी । परन्तु वनों में अवैध कार्य की घटना एवं कोई अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु पर तत्काल कार्रवाई हेतु वन सुरक्षा समिति की ऐसी बैठक की जा सकती है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव में से किसी एक की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा समिति के न्यूनतम आधे सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

6.2 वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक छ: माह में न्यूनतम एक बार बुलाई जाएगी, जिसमें वन सुरक्षा समिति के द्वारा दायित्व निर्वाह एवं ग्रामवासियों से सहमति बनाकर उनके साथ-साथ चलने जैसी स्थिति पर विचार करते हुए निर्णय लिया जाएगा । वन सुरक्षा समिति भंग हो जाने या उसकी समयावधि पूरी होने पर ग्राम-सभा की बैठक कंडिका (5) में दर्शाई गई प्रक्रिया अनुसार अगामी नई "वन सुरक्षा समिति" का चुनाव किया जाएगा। यह बैठक वन सुरक्षा समिति के कार्य-काल की समाप्ति के एक माह पूर्व, या उसके भंग होने के तीन माह के अन्दर, बुलाना अनिवार्य होगा।

7. गणपूर्ति (कोरम)

"वन सुरक्षा समिति" हेतु 50 प्रतिशत सदस्य एवं ग्राम-सभा हेतु 30 प्रतिशत सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी ।

8. वन सुरक्षा समिति के कर्त्तव्य, शक्तियॉ/अधिकार और समितियों के द्वारा उनके निर्वाह में वन अधिकारियों के कर्त्तव्य एवं शक्तियॉ

8.1 वन सुरक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही के आधार पर ही कोई सूचना/ प्रतिवेदन विभाग के वनपाल/प्रक्षेत्र पदाधिकारी या कोई अन्य कार्यालय को दिया जाएगा । वन अधिकारियों को सूचना/प्रतिवेदन/बैठक की कार्यवाही पर वन सुरक्षा समिति के सचिव सहित न्यूनतम आधे सदस्यों का हस्ताक्षर होने पर ही उसे मान्यता दी जाएगी ।

8.2 वन सुरक्षा समिति वनों का अग्नि, अवैध कटाई, अवैध चराई, अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन, अतिक्रमण व शिकार से बचाव (सुरक्षा) करेगी । वन सुरक्षा समिति अपने वन की सुरक्षा में सामूहिक सहमति से ग्रामवासियों के द्वारा गश्ती की व्यवस्था लागू करेगी । वन अधिकारी भी अपने स्तर से वन की गश्ती एवं स्थल का निरीक्षण करेंगे । वन में अपराध की घटना के बारे में सूचना वन अधिकारी के अतिरिक्त वन सुरक्षा समिति या कोई अन्य व्यक्ति/संगठन भी परिसर/प्रक्षेत्र कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं ।

8.3 वन में अनियमित कटाई एवं अन्य अपराध की घटना में संलिप्त अपने किसी ग्रामवासी या अन्य दूसरे गॉव के व्यक्ति के विरूद्ध वन सुरक्षा समिति के द्वारा सूचना फार्म नं० (4) में परिसर/प्रक्षेत्र कार्यालय में प्रतिवेदित किया जायेगा । समिति को प्राप्ति प्रमाण पत्र भी कार्यालय से दिया जाएगा । साथ ही, अपराधी पकड़े जाने पर उसे समिति द्वारा परिसर/प्रक्षेत्र कार्यालय में उपरोक्त रिर्पोट के साथ सौप दिया जाएगा या गॉव में अपराधी को पकड़कर रखे जाने एवं समिति के जिम्मे/अभिरक्षा में रखे गये वन पदार्थ, औजार, वाहन एवं अन्य सम्पति भी प्रतिवेदन में सूचित की जाएगी । वन सुरक्षा समिति से प्राप्त प्रतिवेदन में निहित सूचना के आधार पर परिसर/प्रक्षेत्र के प्रभारी अपराध प्रतिवेदन दर्ज करेंगे एवं अपराधियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे । जप्त वन पदार्थ पर निर्णय विभाग के अधिकारियों के द्वारा कानूनतः लिया जाएगा । लेकिन मामले का सुलह वन सुरक्षा समिति की अनुशंसा से ही किया जाएगा ।

8.4 वनों की गश्ती, स्थल निरीक्षण एवं निगरानी में अभिज्ञात वन अपराध का प्रतिवेदन वन अधिकारी, या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त होने पर परिसर/ प्रक्षेत्र के प्रभारी कानूनी कार्रवाई संबंधित वन सुरक्षा समिति से केन्द्रित होकर करेंगे । वन सुरक्षा समिति की बैठक बुलाकर कानूनी कार्रवाई- जैसे गिरफ्तारी, सुलह या न्यायालय में अभियोजन भेजने- हेतु सहमति प्राप्त की जाएगी । सहमति प्राप्त करने में घटना से संबंधित वस्तुस्थिति तथा वनों की

स्थलीय वास्तविकता पर बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा । समिति की सहमति से ही कानूनी कार्रवाई होगी एवं उसे अग्रेतर अनुसंधान तथा अभियोजन प्रतिवेदन तैयार करने में आधार बनाया जाएगा ।

8.5 अगर वन अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा वन अपराध के प्रतिवेदित मामले में आरोपी ग्रामवासी या अन्य कोई व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु वन सुरक्षा समिति सहमति प्रदान नहीं करती है और, इसके बावजूद भी, वन अधिकारियों के द्वारा कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है, तो उसे प्रारंभ करने से पूर्व वन सुरक्षा समिति को प्रमंडलीय कार्यालय आदेश से भंग किया जाएगा । समिति का अस्तित्व रहते हुए इसके वन में अपराध की घटना पर ग्रामवासियों के विरूद्ध वन अधिकारियों के द्वारा सीधे अपने स्तर से कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

8.6 वन सुरक्षा समिति को भंग करने के पूर्व सहायक वन संरक्षक या उनसे वरीय स्तर के किसी वन अधिकारी का निष्पक्ष जॉच प्रतिवेदन प्रमंडलीय कार्यालय में समर्पित होना चाहिए । वन की समेकित स्थिति और समिति वाले गॉव के ग्रामीण के विरूद्ध आरोप से जुड़े घटना विशेष की वास्तविकता प्रतिवेदन में निहित होनी चाहिए । वन प्रमंडलीय आदेश से ही कोई समिति भंग की जाएगी। आदेश की प्रतिलिपि उच्चतर कार्यालयों को भी समर्पित की जाएगी ।

8.7 ट्रक, ट्रैक्टर, 407 एंव अन्य इसी तरह के स्वचालित वाहन से अवैध लकड़ी, कत्था एवं अन्य वन पदार्थ के अवैध परिवहन में वन अधिकारी द्वारा पकड़ेगए ग्रामीण अपराधी के मामलों में वन अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से कानूनी कार्रवाई होगी । ऐसे अपराध को लेकर कानूनी कार्रवाई में उपरोक्त कंडिका (8.4),(8.5) और (8.6) को मान्यता नहीं दी जाएगी ।

8.8 किसी वन अपराध की घटना को रोकने में वन सुरक्षा समिति के सदस्य या इसके गश्ती दल के किसी ग्रामीण सदस्यों का अपराधियों द्वारा ही प्रतिकार किया जाता है या उनके साथ मार–पीट की जाती है तो वन सुरक्षा समिति के द्वारा घटना प्रतिवेदित होते ही वन अधिनियम के संगत प्रावधान के अनुसार वन अपराधी को गिरफ्तार करने सहित कानूनतः अन्य कार्रवाई वन अधिकारियों के द्वारा शीघ्र की जाएगी ।

8.9 अगर वन अपराध को रोकने में उत्पन्न स्थिति के कारण वन सुरक्षा समिति के सदस्य और/या इसके गश्ती दल के ग्रामीण सदस्यों के विरूद्ध ही वन अपराधियों के द्वारा पुलिस थाना में शिकायत/प्राथमिकी दर्ज की जाती है, तो इस स्थिति को परिसर/प्रक्षेत्र कार्यालय में वन सुरक्षा समिति द्वारा प्रतिवेदित होते ही इसकी सूचना प्रमंडलीय एवं अंचलीय कार्यालय को दी जाएगी। प्रमंडल एवं अंचल के वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन सुरक्षक अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक एवं उच्चतर स्तर से मामले की जॉच एवं कार्रवाई में ग्रामीणों के सामूहिक प्रतिवेदन को भी मान्यता सुनिश्चित करायेंगे

8.10 वन विभाग में जे०एफ०एम० के प्रभार में कार्यरत प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक इस संकल्प के अन्तर्गत निर्णय के कार्यान्वियन में नोडल पदाधिकारी होंगे । सरकार किसी अन्य पदाधिकारी को भी नोडल पदाधिकारी घोषित कर सकती है । नोडल पदाधिकारी के नियंत्रण/निर्देश में प्रादेशिक प्रमंडल, अंचल एवं रीजन के प्रभारी पदाधिकारी वन सुरक्षा समिति के संदर्भ में निर्धारित कत्तर्व्य, शक्तियॉ एवं अधिकार का निर्वाह करेंगे । नोडल पदाधिकारी वन सुरक्षा समिति के गठन, उसके कार्य-कलाप में प्रगति एवं अधिकारियों के दायित्व निर्वाह का अनुश्रवण करेंगे तथा सरकार को भी प्रतिवेदित करेंगे । उनके द्वारा आवश्यकता अनुसार सरकार से कार्रवाई एवं अग्रेतर निर्णय हेतु मंतव्य एवं प्रस्ताव भेजा जाएगा। नोडल पदाधिकारी के निर्देशों का अनुपालन प्रादेशिक प्रमंडल, अंचल एवं रीजन के प्रभारी पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा।

8.11 प्रादेशिक प्रमंडल, अंचल एवं रीजन कार्यालय से लेकर जे०एफ०एम० के प्रभारी मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल पदाधिकारी के सभी कार्यालय में एक "वन सुरक्षा समिति" प्रकोष्ठ होगा, जिसके अन्तर्गत

एक "वन सुरक्षा समिति से सूचना पेटी" भी होगी, जिसमें समिति के पत्र/प्रतिवेदन कार्यालय में प्राप्त किये जाएँगे । इसी प्रकोष्ठ के अधीन
एक दूरभाष/मोबाइल फोन होगा जिस पर वन सुरक्षा समिति के सदस्यो/ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना प्रकोष्ठ के किसी कर्मचारी/अधिकारी के द्वारा पंजी में लिखी जाएगी । पत्र पेटी में प्राप्त या दूरभाष से मिली सूचना को प्रति दिन संकलित किया जाएगा । संकलित सूचना नोडल पदाधिकारी को उसी दिन ई-मेल से भेजा जाएगा।

8.12 वन सुरक्षा समिति प्रत्येक वार्षिक कार्य-अवधि में वन में ग्रामवासियों द्वारा अधिकार का प्रयोग एवं वन के संवर्धन हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रक्षेत्र/

प्रमंडल में समर्पित करेगी जिसपर एक महीने के अन्दर वन प्रमंडल पदाधिकारी विभागीय निर्णय की सूचना वन सुरक्षा समिति को देंगे । समिति अपने प्रस्ताव की प्रतिलिपि संघ को भी देगी ।

8.13 वनपाल एवं उनके अधीनस्थ वनरक्षियों के द्वारा परिसर के अन्तर्गत वन सुरक्षा समिति वाले वनों का नियमित स्थलीय निरीक्षण एवं गश्ती किये जाएँगे । प्रक्षेत्र पदाधिकारी एवं अन्य वरीय वन पदाधिकारी भी वनों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे । स्थलीय निरीक्षण एवं गश्ती के दौरान अभिज्ञात वन अपराध के मामले में कार्रवाई उपर की कंडिका (8.4), (8.5), (8.6) एवं (8.7) के अनुसार होगी। स्थलीय निरीक्षण के आधार पर वनों की स्थिति एवं वन सुरक्षा समिति के कार्य-कलाप पर वन अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन उनके नियंत्रक पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय कार्यालय में समर्पित होगी । वन अधिकारी अपने प्रतिवेदन की प्रतिलिपि समिति को भी देंगे ।

8.14 प्रादेशिक वनपाल/प्रक्षेत्र पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी वन सुरक्षा समिति के साथ नियमित बैठक करेंगे । वनों के स्थलीय निरीक्षण के आलोक में आवश्यकतानुसार समिति की आपात बैठक भी वन अधिकारी द्वारा आयोजित कराई जा सकेगी । बैठक में वनों की स्थलीय स्थिति एवं समिति के कार्य-कलाप से संबंधित बिन्दुओं पर विमर्श होगा एवं नियमानुसार निर्णय लिये जाएँगे ।

8.15 अपने अधीनस्थ वन की सुरक्षा में मुश्किल एवं कठिन स्थिति का सामना होने पर वन सुरक्षा समिति वनरक्षियों की अस्थायी प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध प्रक्षेत्र एवं प्रमंडलीय कार्यालय में करेगी। प्रतिनियुक्ति के

दौरान वनरक्षियों के द्वारा वनों में अवैध कार्य रोकने में समितियों को सहयोग दिया जाएगा। वनरक्षियों के कर्तव्य निर्वाह पर वन सुरक्षा समिति अपना प्रतिवेदन प्रक्षेत्र एवं प्रमंडलीय कार्यालय में भेजेगी ।
समितियों के प्रतिवेदन पर प्रमंडल स्तर से अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

9. प्रादेशिक वन प्रमंडल स्तर पर वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव एवं संबंधित ग्राम-सभा के द्वारा मनोनीत दो अन्य ग्रामीणों के द्वारा संघ बनाया जायेगा ।

9.1 संघ का नाम वन समिति संघ होगा । प्रमंडल, प्रक्षेत्र तथा 6-10 गॉव के समूह के स्तर पर संघ की कमिटियॉ इसके सदस्यों के द्वारा गठित की

जाएगी जिसका नाम क्रमशः प्रमंडल संघ कमिटी, प्रक्षेत्र संघ कमिटी एवं ग्राम समूह संघ कमिटी होगा ।

9.2 संघ की कमिटियॉ गॉव में वन सुरक्षा समिति के गठन, आपसी सहमति तथा ग्राम सभा के प्रति सम्मान देने एवं उत्साह और इमानदारी के साथ उसमें भागीदारी के लिये ग्रामवासियों को प्रेरित करेगी ।

9.3 इस संकल्प में निहित प्रावधानों के अनुसार वन सुरक्षा समिति के संचालन तथा वन पदाधिकारियों से समन्वय के लिये संघ की कमिटियॉ अपने स्तर से भी ग्रामवासियों को जानकारी देगी।

9.4 वन सुरक्षा समिति के द्वारा परिसर/प्रक्षेत्र कार्यालय में प्रतिवेदित सूचनाओं एवं प्रस्ताव की प्रतिलिपि संघ की कमिटियों को भी दी जाएगी।समिति के प्रतिवेदित सूचनाओं/प्रस्ताव पर विधि सम्मत कार्रवाई का अनुश्रवण करते हुए संघ की कमिटियॉ उच्चतर वन अधिकारियां को प्रतिवेदन भेजेगी एवं उनके साथ बैठक कर वन सुरक्षा समिति के कार्य-कलाप में कठिनाईयों का निराकरण हेतु प्रयास करेगी ।

9.5 संघ अपनी बैठक में वनों पर अधिकार के मामले में ग्राम-सभा एवं उसकी वन सुरक्षा समिति के दायित्व एवं शक्ति के उचित निर्वाह एवं प्रयोग में ग्राम वासियों को सामूहिक रूप से अग्रसर करेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण के सूचनार्थ झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा संबंधितों को इसकी प्रति प्रेषित की जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(सुधीर प्रसाद)
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक :-वन भूमि-57/2005(खण्ड-11)- 6023, व0प0, रॉची 15 नवम्बर, 07
प्रतिलिपि अधीक्षक सचिवालय मुद्राणालय ,डोरण्डा, रॉची को प्रकाशनार्थ तथा इसकी 1000 प्रतियॉ वन एवं पर्यावरण विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

(सुधीर प्रसाद)
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक :-वन भूमि-57/2005(खण्ड-11)-6023, व0प0, रॉची 15 नवम्बर,07
प्रतिलिपि महालेखाकार, झारखण्ड,रॉची / मुख्य मंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रॉची एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार रॉची को सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुधीर प्रसाद)
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक :-वन भूमि - 57/2005(खण्ड-11)-6023, व0प0, रॉची 15नवम्बर,07
प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रॉची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विवधता एवं वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रॉची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक सभी वन संरक्षक /सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(सुधीर प्रसाद)
सरकार के प्रधान सचिव ।